

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
165/24	88,89(ड),91,91ए,53,188RTA	खेडी	छबडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
जगदीश	बनाम	अमरचन्द	

वकील :- श्री अशोक कुमार मेहता **आदेश पत्रक** वकील:- श्री

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

02.12.2024

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,(ड),91,91ए,53,188 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.01.2025 को पेश हो।

[Signature]

22-1-25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। जर्नल नंबर 1, 9, 14, 18, 20, 21, 26, 27 के लम्बे का लम्बी जाड़ा का प्रकरण के न्याया के उपर कभी से उपर विरुद्ध एक लम्बा कार्रवाई की जाती है जर्नल नंबर 2, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, की लम्बी से उपर लम्बे का प्रकरण पेश कर पत्रावली वादि लम्बी दिनांक 11-3-25 को पेश हो।

[Signature]

11.3.25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। वकील वादी प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। वकील वादी ने प्रकरण के Not press किया है। प्रकरण Not press के खारिज किया जा रहा है। पत्रावली के मूल 25 फर एप्पर 25 फर हो।

[Signature]

Not Press
16/3/25